

2023-24

R/W

पंचायती पेशवाई गालिवादी की तरफ से
 वकील श्री शिवराजसिंह राठोड़ ने कमालनाम
 एवं प्राप 07/12-11 का पेश किया, नमल
 ही जाकर शामिल पत्राचली किया गया।
 वकील वादी ने प्राप पत्र पेश कर निवेदन
 किया है कि वादी का वाद विद्वान
 गहले है, नमल प्राप पत्र के वकील गालिवादी
 को ही गई तो वकील गालिवादी ने प्राप पत्र
 पर जोड़ आपाते नहीं की है अतः वादी का
 वाद मुलाबिक प्राप पत्र विद्वान कर स्वयं
 किया गया। पंचायती कैसल सुधार
 हाकर रजि नम्बर से काम हो। आदेश
 सुले न्यायालय में सुनाया गया।

R/W

उप खण्ड अ
सौपर

